

पृष्ठ-1

परियोजना का : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
नाम टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31 से सिलाड़ (3.150 किमी०) तक
मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सर्म्पक मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के कम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासन के पत्रांक 2491 / पी० 3-14 / यू०आर०आर०डी०ए० / 10 दिनांक 18 मार्च 2010 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनदेश की फोटोप्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सिलाड़ की आबादी 308 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से काश्तकारों को अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमिशून्य हे०, सिविल सोयम वन भूमि 0.810 हे०, नाप भूमि 2.025 हे० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन स्वरूप भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं० 1:- जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में 2 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित है। इस समरेखण में अधिकतर नापभूमि के अतिरिक्त बीच-बीच में सिविल सोयम भूमि आती है। इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानको के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई 3.150 किमी० आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

समरेखण नं० 2:- जो हरा रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार यह समरेखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग किमी०- 31 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण की लम्बाई 0.750 किमी० आती है। इस पूरे समरेखण में 00 मेजर ब्रिज हैं। समरेखण से 4 हेयर पिन बैंड पड़ते हैं। समरेखण का अधिकतम भाग हार्ड रोक में होने के कारण यह समरेखण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने से बांज व चीड़ के वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं। तकनीकी दृष्टि एवं मानको के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है, एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 2 को निरस्त कर समरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 3.150 किमी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 9 मी० चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम 0.810 हे० प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत नया प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत
सिंचाई खण्ड, ली०न०वि०
चम्पावत।

अधिसूची अभियन्ता
अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड चम्पावत
चम्पावत